न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 104/2015

निर्णय दिनांकः– 26-10-2016

उनवान

1.फकरूद्दीन पुत्र सुलतान जाति मुसलमान निवासी ककोड़ तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री हरिराज सिंह, वकील वादी
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी ख0न0 1161 रकबा 0.16हैं0, खसरा नं. 1163 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम ककोड़ तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है जो वादी के पिता सुलतान वल्द जमालुद्दीन से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर वादी का अपने पिता के जीवनकाल से निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी ही राज्य सरकार को लगान जमा करवाता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नं. 296 नि. रकबा 15 बिस्वा थे जिसे वादी के पिता स्व. सुलतान दिनांक 15.05.1952 को रहमान पुत्र हसन शाह जाति फकीर निवासी ककोड़ से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिस पर वादी व उसके पिता का विगत 60–65 वर्षो से बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा उक्त भूमि रहमान से खरीद के पश्चात रहमान लाऔलाद फौत हो गया है जिसके कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं है और ना ही उसका कोई वारिस है। इस कारण उक्त आराजी का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में पंजीयन नहीं हो सका तथा वादग्रस्त आराजी आज भी रहमान के नाम खातेदारी में चली आ रही है, जिससे पड़ोसी काश्तकार वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत बेजा एवं कब्जा करने पर आमादा है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का विगत 60–65 वर्षो से निरन्तर निर्विघ्न कब्जा काश्त चला आ रहा होने से वादी का कब्जा मुखालिफाना हो चुका है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे। आराजी ख0न0 1161 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 1163 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम ककोड़ तहसील उनियारा जिला टोंक में से खातेदार रहमान का नाम हटाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी अनुरूप राजस्व रैकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा के द्वारा दिनांक 20.10.2016 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2011 ग्राम ककोड़ में साबिक आराजी खसरा नं. 217 रकबा 15 बिस्वा रहमान वल्द हुसेन शाह जाति फकीर निवासी ककोड़ के नाम दर्ज रैकॉर्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध लिखावट के अनुसार रहमान वल्द हुसेन शाह निवासी ककोड़ के द्वारा खसरा नं. 217 रकबा 15 बिस्वा को 70/— रूपये अक्षरे सत्तर रूपयों में सुल्तान वल्द जमालुद्दीन निवासी ककोड़ को बैचान किया जाना पाया जाता है। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम ककोड़ के अनुसार साबिक खसरा नं. 217 मि. रकबा 15 बिस्वा से हाल खसरा नं. 1374 रकबा 0.16 है0. व 1376 रकबा 0.03 है0 कायम होना पाये जाते हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2068 ग्राम ककोड़ में हाल आराजी खसरा नं. 1161 रकबा 0.16 है0 व 1163 रकबा 0.03 है0. रहमान शाह पुत्र हसन शाह जाति फकीर मुसलमान साकिन देह की खातेदारी में दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नं. 217 में रकबा 15 बिस्वा रहमान वल्द हुसेन शाह जाति फकीर निवासी ककोड़ की खातेदारी की भूमि थी जिसे जरिये अनरजिस्टर्ड बैचान के द्वारा वादी के पूर्वज द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब दावा में भी प्रकरण में राजकीय हित प्रभावित नहीं होना अंकित किया है।

अतः वाद बहक वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नं. 1161 रकबा 0.16 है0. व 1163 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम ककोड़ तहसील उनियारा जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रैकॉर्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। वादी उक्त भूमि का पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क उप पंजीयक कार्यालय, बनेठा में जमा करावे। फरीकेन खर्च अपना—अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2016 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

सुभाषचन्द्र शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

(मूल वाद मे डिक्री) प्रपत्र –5
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक</u>

उनवान

1. फकरूद्दीन पुत्र सुलतान जाति मुसलमान निवासी ककोड़ तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 104 वर्ष 2015

वादी की ओर से श्री हरिराज सिंह, वकील वादी प्रतिवादीगण की और से पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 26.10.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी को आराजी खसरा नं.1161 रकबा 0.16 है0 व 1163 रकबा 0.03 है0. वाके ग्राम ककोड़ तहसील उनियारा जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रैकॉर्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। वादी उक्त भूमि का पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क उप पंजीयक कार्यालय, बनेठा में जमा करावे। फरीकेन खर्च अपना–अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 10 सन् 2016 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner